

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।


संख्या ...../ल0औ0वि0प्रा0 दि0.....


निर्माणार्थ अनुमति - पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिंग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/श्रीमती/श्री अश्वनी श्रीवास्तव, निदेशक, ड्रीम्ज इन्फ्रारियल्टी प्रा0लि0, निवासी-17/683, सेक्टर-17 इन्दिरानगर लखनऊ का ग्राम जैतीखेड़ा, परगना, बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ में के भूखण्ड संख्या/गाटा भूखण्ड संख्या 26 क्षेत्रफल 4520.00 वर्गमीटर पर आवासीय गुप हाउसिंग एवं गाटा संख्या-1282 क्षेत्रफल 1248.00 वर्गमीटर भाग पर ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 214/लीडा/सी.ई.ओ. /2014-15 के नोट पृष्ठ सं0 1 से 22 पर दिनांक 21.12.17 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।

  
सहा0 प्रबंधक (परि0)

  
प्रबंधक (परि0)

  
सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर

(जोन - लखनऊ)

  
वरि0 प्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक-